महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या–1340/आठ–1–22–1446/2021टी0सी0

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 2022**

विषयः– विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा नागर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों को यूनिक प्रापर्टी आई0डी0 (Unique Property ID) जनरेट किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, नगर विकास, अनुभाग–9 के पत्र संख्या–2029/नौ–9–2022–191ज/20 दिनांक 06.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा नागर निकायों में स्थित सम्पत्तियों का 17 अंको का यूनिक कोड जनरेट किये जाने पे आवश्यकता पर बल देते हुए आगामी एक सप्ताह में अभियान चलाकर समस्त सम्पत्तियों की यूनिक कोड जेनरेट किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त अभिकरणों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
अनु सचिव।

D:/R/GO 2021

संख्या–2029/नौ–9–2022–191ज/20

प्रेषक,

रंजन कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **औद्योगिक विकास आयुक्त,** उ0प्र0 शासन।
2. **प्रमुख सचिव,** आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,उ0प्र0 शासन।
3. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी,** नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
4. **निदेशक,** नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. **समस्त नगर आयुक्त,** नगर निगम, उ0प्र0।
6. **समस्त अधिशासी अधिकारी,** नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2022**

विषय– विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा नागर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों को यूनिक प्रापर्टी आई0डी0 (Unique Property ID) जनरेट किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शहरीकरण की बढती प्रवृत्ति और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में नगरीय निकायों का गठन, उच्चीकरण एवं सीमा विस्तार किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 762 नागर निकाय है। उक्त नागर निकायों में स्थित सम्पत्तियों पर टैक्स आदि आरोपित करने, क्षेत्र के निवासियों को मूलभूत आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराने यथा पेयजल, सीवर, पार्क, ओपेन स्पेस आदि, सम्पत्तियों के क्रय विक्रय, नामांतरण आदि को सुविधाजनक ढग से निष्पादित करने के लिये निकायों मे स्थिति प्रत्येक सम्पत्ति के लिये एक यूनिक आई0डी0 संख्या उपलब्ध करायी गयी है। विभिन्न निकायों में सम्पत्ति की पहचान के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में एकरूपता न होने के कारण सम्पत्ति के विवरण की जानकारी (Property Identification) जनसामान्य को सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है। भारत सरकार द्वारा निर्गत बिजनेस रिफार्म्स के सुधारात्मक चरण में इस बिन्दु को रेखांकित करते हुए यह अपेक्षा की गयी है कि नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सम्पत्तियों हेतु यूनिक प्रापर्टी पहचान (Unique Property ID) की व्यवस्था लागू करने की कार्यवाही की जाये। उपर्युक्त उददेश्य की पूर्ति के लिये शासनादेश संख्या–2426/नौ–9–2020–191ज/2020, दिनांक–17.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है, जिसके माध्यम से समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में प्रत्येक सम्पत्ति हेतु 17 अंकों का एक यूनिक कोड निम्नवत निर्धारित किया गया है:–

(1)	यूनिक कोड के प्रथम 2 अंक	लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्री (LGD Local Goverment Directory) के अनुसार प्रदेश का कोड।
(2)	यूनिक कोड के अंक 3 से 5	स्थानीय निकाय बोर्ड।
(3)	यूनिक कोड के अंक 6 से 7	स्थानीय निकाय जोनल बोर्ड।
(4)	यूनिक कोड के अंक 8 से 10	स्थानीय निकाय बोर्ड का कोर्ड।
(5)	यूनिक कोड के अंक 11 से 16	सम्पत्ति कोड
(6)	यूनिक कोड के अंक 17 सम्पत्ति के लिये	विशेष अक्षर–'R'आवासीय 'N' अनावासीय सम्पत्ति के लिये 'M' मिश्रित सम्पत्ति के लिये

इस प्रकार प्रदेश के प्रत्येक निकाय के प्रत्येक सम्पत्ति के लिये 17 अंकों वाला एक यूनिक कोड निम्नवत् प्रदर्शित होगा:–

राज्य कोड (2 अंक)	निकाय कोड (3 अंक)	जोन कोड (2 अंक)	वार्ड कोड (3 अंक)	सम्पत्ति/भूखण्ड कोड (6 अंक)	विशेष अक्षर (1 अंक)	कुल कोड (17 अंक)

2. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा नागर निकायों में स्थित सम्पत्तियों का 17 अंको का यूनिक कोड तत्काल जनरेट किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु आगामी एक सप्ताह में अभियान चलाकर समस्त सम्पत्तियों की यूनिक कोड जनरेट कर लिये जाये।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(रंजन कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिरीक्षक, निबधन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, निवेश मित्र, इनवेस्ट यू0पी0।
3. औद्योगिक विकास अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्य में आवश्यक तकनीकी सहयोग नगरीय निकाय निदेशालय को प्रदान करने का कष्ट करें।
5. श्री मोहन ठाकुर, मुख्य समन्वयक (आई0टी0) को इस आशय के साथ प्रेषित कि निबंधन कार्यालय एवं एन0आई0सी0 के मध्य उक्त प्रकिया की एस0ओ0पी0 जारी कराने एवं ऑनलाइन पोर्टल पर कार्य सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी समन्वय करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
उप सचिव।

संख्या–2426/नौ–9–2020–191ज/20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी**, उ0प्र0।
2. **समस्त नगर आयुक्त**, नगर निगम, उ0प्र0।
3. **समस्त अधिशासी अधिकारी**, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 17 नवम्बर, 2020**

विषयः प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में सम्पत्तियों के विषयगत यूनिक आईडी का निर्धारण एवं अंकन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उ0प्र0 अधिनियम 2 सन 1916), उ0प्र0 नगर निगम 1959 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन 1959) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित सम्पत्तियों के विवरण सूची के अभिलेख/रिकार्ड को रखते हुए निर्दिष्ट नियमों एवं विहित प्रक्रिया के अनुसार समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

2. विभिन्न निकायों में सम्पत्ति की पहचान के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में एकरूपता न होने के कारण सम्पत्ति के विवरण की जानकारी (Property Identification) जन सामान्य को सुलभ रूप से उपलब्ध नही हो पाती है। भारत सरकार द्वारा निर्गत बिजनेस रिफार्म्स के सुधारात्मक चरण में इस बिन्दु को रेखांकित करते हुए यह अपेक्षा की गयी है कि नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सम्पत्तियों हेतु यूनीक प्रापर्टी पहचान (Unique Property ID) की व्यवस्था लागू किये जाने की कार्यवाही की जाये।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में प्रत्येक सम्पत्ति हेतु 17 अंकों का एक यूनीक कोड निम्नवत् निर्धारित किया जाये:–

(1) यूनीक कोड के प्रथम 2 अंक – लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्ररी (LGD (local government directory) के अनुसार प्रदेश का कोड।

(2) यूनीक कोड के अंक 3 से 5 – स्थानीय निकाय कोड।

(3) यूनीक कोड के अंक 6 से 7 – स्थानीय निकाय जोनल कोड

(4) यूनीक कोड के अंक 8 से 10 – स्थानीय निकाय वार्ड का कोड

(5) यूनीक कोड के अंक 11 से 16 – सम्पत्ति कोड

(6) यूनीक कोड के अंक 17 – विशेष अक्षर –'R' आवासीय सम्पति के लिए,
'N' अनावासीय सम्पति के लिए,
'M' मिश्रित सम्पति के लिए.

50–9

18.11.2020
(अनुराग यादव)
सचिव
नगर विकास विभाग
उ० प्र० शासन

GO-1

इस प्रकार प्रदेश के प्रत्येक निकाय के प्रत्येक सम्पत्ति के लिए 17 अंकों वाला एक यूनिक कोड निम्नवत् प्रदर्शित होगा:–

राज्य कोड (2 अंक)	निकाय कोड (3 अंक)	जोन कोड (2 अंक)	वार्ड कोड (3 अंक)	सम्पत्ति/भूखण्ड कोड (6 अंक)	विशेष अक्षर (1 अंक)	कुल कोड (17 अंक)

राज्य के अधिकांश निकायों में सम्पत्तियों की सूची का डिजिटाइजेशन/कम्प्यूटराईजेशन की कार्यवाही पूर्व से कर ली गयी है। अतएव उपरोक्त विद्यमान डिजिटाइज/कम्प्यूटराईज रिकार्ड में यूनीक आई डी आवंटन के विषयगत विभाग द्वारा बनायी गयी ई–नगर सेवा पोर्टल http://e-nagarsewa.up.nic.in पर वर्णित निर्देशों के अनुरूप निकाय तदनुसार यूनीक आईडी की व्यवस्था को तत्काल लागू करना सुनिश्चित करें। इस विषयगत प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाये एवं उक्त प्रक्रिया के लागू किये जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई/सुझाव हेतु मुख्यालय पर मुख्य समन्वयक (आईटी), श्री मोहन ठाकुर मो0नं0 9415028591, ई–मेल आईडी mt.egov18@gmail.com से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/ऊर्जा/न्याय/विधायी/स्टाम्प एवं पंजीयन/आवास एवं शहरी नियोजन/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/सूचना/संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि तदनुसार समस्त नगरीयों निकायों में उपरोक्त आदेशों के अनुपालन कराये जाने हेतु ऑनलाइन हैण्ड ऑन ट्रेनिंग समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।